



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092020-221747
CG-DL-E-16092020-221747

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2801]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942
No. 2801]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020/BHADRA 24, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2020

का. आ. 3149(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) भारत के राजपत्र, (असाधारण) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ 454(अ), तारीख 28 जनवरी 2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तमिल नाडु राज्य में एन्नोर- तिरुवल्लूर - बेंगलुरु - पुदुचेरी- नागपट्टिनम - मदुरै - टूटिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 03.02.2020 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकाश की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी रुकावटों से मुक्त हो कर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची						
जिला :	विल्लुपुरम			राज्य : तमिलनाडु		
तालुका	गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं.- खण्ड सं.	उप खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
विल्लुपुरम	220. मिट्टामंडगपट्टु	4	4	0	1	45
		4	5	0	4	95
		4	6	0	5	10
		4	7	0	5	2
		4	8	0	2	65
		4	9	0	0	40
		13	2ए	0	2	20
		13	3ए	0	0	45
		13	3बी	0	0	40
		13	2बी	0	5	0
		13	2सी	0	4	50
		13	9	0	0	40
		12	2ए	0	9	40
		12	2बी	0	9	95
		11	1बी	0	5	35
		11	1डी	0	0	40
		11	2ए	0	2	70
		11	2बी	0	7	62
		15	3	0	3	88
		10	1	0	7	65
विल्लुपुरम	215. अलीयुर	10	2ए	0	6	10
		194	-	0	8	25
		195	2	0	10	30
		195	1	0	1	45
		195	3	0	8	40
		195	4	0	6	40
		195	5	0	7	30

195	6ए	0	3	55
191	11सी	0	2	55
191	13	0	11	95
196	1	0	0	40
184	6	0	12	65
184	5	0	6	30
184	8	0	6	30
184	9	0	1	90
184	7	0	5	60
183	6	0	11	40
183	15	0	13	60
207	1	0	10	35
206	1	0	6	90
206	2	0	0	40
206	3	0	0	40
206	4	0	3	90
302	1	0	1	20
302	6	0	0	90
306	1	0	6	5
306	3	0	2	95
305	1	0	3	30
304	-	0	3	5
303	1	0	4	20
303	2	0	6	65
294	4	0	5	55
294	6	0	3	60
292	4	0	4	75
286	2	0	4	80
284	2	0	2	75
285	-	0	2	10
324	1ए	0	2	65
325	6	0	4	80
325	5	0	1	60
325	8	0	1	50
323	1ए	0	0	95
322	1ए	0	2	0
321	1	0	1	85
326	2ए	0	5	26
326	3	0	3	50
326	2बी	0	1	11
327	4	0	6	25

327	3	0	0	50
327	7ए	0	1	60
327	6	0	6	80
327	5	0	0	40
329	1	0	11	85
330	-	0	4	70
332	1	0	0	45
331	-	0	2	22
277	1ए2	0	0	90
277	1बी1	0	2	5
277	1बी2	0	4	40
357	13ए	0	4	40
357	13बी	0	3	5
357	14ए	0	0	80
357	8	0	1	15
357	9	0	7	25
357	10	0	8	55
357	11	0	0	76
357	12	0	5	6

[फा. सं. एल- 14014/8/2020-जी पी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2020

S.O. 3149(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.No.454(E) dated: 28.01.2020 issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (herein after referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Natural Gas, through “Ennore- Thiruvallur -Bengaluru -Puducherry -Nagapattinam –Madurai-Tuticorin” Natural Gas Pipeline in the State of Tamil Nadu by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, copies of the said notifications were made available to the public from 03-02-2020.

And whereas, the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government, after considering the said report is satisfied that the Right of User in the Land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the said Land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said Land shall instead of vesting in the Central Government, vest from the date of publication of this declaration, in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & M P Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

District : Villupuram			State : Tamil Nadu			
Name of the Taluk	Name of the Village	Survey No.	Sub Division No.	Area		
				Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6	7
Villupuram	220. Mitta Mandagapattu	4	4	00	01	45
		4	5	00	04	95
		4	6	00	05	10
		4	7	00	05	02
		4	8	00	02	65
		4	9	00	00	40
		13	2A	00	02	20
		13	3A	00	00	45
		13	3B	00	00	40
		13	2B	00	05	00
		13	2C	00	04	50
		13	9	00	00	40
		12	2A	00	09	40
		12	2B	00	09	95
		11	1B	00	05	35
		11	1D	00	00	40
		11	2A	00	02	70
		11	2B	00	07	62
		15	3	00	03	88
		10	1	00	07	65
	215. Azhiyur	10	2A	00	06	10
		194	-	00	08	25
		195	2	00	10	30
		195	1	00	01	45
		195	3	00	08	40
		195	4	00	06	40
		195	5	00	07	30
		195	6A	00	03	55
		191	11C	00	02	55
		191	13	00	11	95
		196	1	00	00	40
		184	6	00	12	65
		184	5	00	06	30
		184	8	00	06	30
		184	9	00	01	90
		184	7	00	05	60
		183	6	00	11	40
		183	15	00	13	60
		207	1	00	10	35
		206	1	00	06	90
		206	2	00	00	40
		206	3	00	00	40
		206	4	00	03	90
		302	1	00	01	20
		302	6	00	00	90
		306	1	00	06	05
		306	3	00	02	95
		305	1	00	03	30
		304	--	00	03	05
		303	1	00	04	20
		303	2	00	06	65

294	4	00	05	55
294	6	00	03	60
292	4	00	04	75
286	2	00	04	80
284	2	00	02	75
285	--	00	02	10
324	1A	00	02	65
325	6	00	04	80
325	5	00	01	60
325	8	00	01	50
323	1A	00	00	95
322	1A	00	02	00
321	1	00	01	85
326	2A	00	05	26
326	3	00	03	50
326	2B	00	01	11
327	4	00	06	25
327	3	00	00	50
327	7A	00	01	60
327	6	00	06	80
327	5	00	00	40
329	1	00	11	85
330	--	00	04	70
332	1	00	00	45
331	--	00	02	22
277	1A2	00	00	90
277	1B1	00	02	05
277	1B2	00	04	40
357	13A	00	04	40
357	13B	00	03	05
357	14A	00	00	80
357	8	00	01	15
357	9	00	07	25
357	10	00	08	55
357	11	00	00	76
357	12	00	05	06

[F. No. L -14014/8/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.